न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 14/2021 FSSA

1. सरकार जरिये श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री विशम्भर दयाल गुप्ता मैसर्सः—विश्वम्भर दयाल, नरेन्द्र कुमार, राज बाजार, बांदीकुई जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 08.02.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्यरत थे। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया था तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश क्रमांक 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किये गये थे।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 24.03.2021 को दोपहर 12:10 बजे मैसर्सः— विश्वम्भर दयाल नरेन्द्र कुमार, राज बाजार, बांदीकुई दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री विश्वम्भर दयाल गुप्ता उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक खुले मुंह के पीपे में करीबन 12—13 किलोग्राम सरसों तेल (लूज) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमें से हिलामिलाकर नमूने की जॉच हेतु 1600 ग्राम सरसों तेल (लूज) खरीदा। जिसे विक्रेता ने साफ, सूखी एवं खाली प्लास्टिक की थैली में तोलकर दिया। जिनकी कीमत 192 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 1600 ग्राम सरसों तेल (लूज) को चार साफ सूखी एवं खाली कांच की बोतलो में बराबर—बराबर डालकर प्रत्येक बोतल को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलो पर चिपकाकर बोतलो को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर बोतलो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.—2626 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार—चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ(विक्रेता) व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 25.03.2021 को खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 25.03.2021 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 25.03.2021 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल (लूज) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./291/एक्ट/2021/468 दिनांक 15.04.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल (लूज) का नूमना नियम 2.3.15(1)(b) एफएसएस **(Prohibition and restrictions on sale)** नियम 2011 का उल्लंघन (खुला सरसों तेल बेचना) पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त नियत पेशी दिनांक को न्यायालय में उपस्थित हुये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की दुकान से दिनांक 24.03.2021 को खाद्य पदार्थ सरसों तेल (लूज) का नूमना लिया गया था। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोट संख्या एल.एस./291/एक्ट/2021/468 दिनांक 24.03.2021 के अनुसार यह नियम 2.3.15(1)(b) एफएसएस **(Prohibition and restrictions on sale)** नियम 2011 का उल्लंघन (खुला सरसों तेल बेचना) पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ सरसों तेल (लूज) का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(V) का उल्लंघन किया गया है। अतः अधिनियम की धारा 58 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी के यहां से दिनांक 24.03.2021 को खाद्य पदार्थ सरसों तेल(लूज) का नमूना लिया गया था जो जांच रिपोर्ट में नियम 2.3.15(1)(b) एफएसएस **(Prohibition and restrictions on sale)** नियम 2011 का उल्लंघन (खुला सरसों तेल बेचना) पाया गया है। । उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल(लूज) में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। ग्राहक द्वारा खुला सरसों का तेल मांगे जाने पर पैक टीन को खोलकर ग्राहकों की आवश्यकतानुसार उसमे से सरसों का तेल विक्रय किया गया है। खाद्य सुरक्षा के नियम 2.3.15(1)(b) एफएसएस **(Prohibition and restrictions on sale)** नियम 2011 की जानकारी नहीं थी। भविष्य में इस प्रकार की गलती हमारे द्वारा नहीं की जायेगी। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा उक्त प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रार्थी को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./291/एक्ट/2021/468 दिनांक 15.04.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल(लूज) का नूमना नियम 2.3.15(1)(b) एफएसएस **(Prohibition and restrictions on sale)** नियम 2011 का उल्लंघन (खुला सरसों तेल बेचना) पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने सरसों तेल(लूज) का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(V) का उल्लंघन किया गया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा की धारा 58 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ सरसों तेल(लूज) का विक्रय किये जाने से नियम 2.3.15(1)(b) एफएसएस **(Prohibition and restrictions on sale)** नियम 2011 का उल्लंघन (खुला सरसों तेल बेचना) पाये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री विश्वम्भर दयाल गुप्ता एफबीओ मैसर्सः– विश्वम्भर दयाल, नरेन्द्र कुमार, राज बाजार, बांदीकुई जिला दौसा पर 10000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 08.02.2023 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 08.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/FSSA/ दिनांकः– .02.2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री विश्वम्भर दयाल गुप्ता एफबीओ मैसर्सः– विश्वम्भर दयाल, नरेन्द्र कुमार, राज बाजार, बांदीकुई जिला दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा